



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 980) पटना, बुधवार, 12 अगस्त 2026

सं० एम-4-5/2022-973/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

12 अगस्त 2026

विषय :-स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के संदर्भ में ।

राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :-

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (i) | विकास आयुक्त | — | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | — | सदस्य |
| (iii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | — | सदस्य सचिव |
| (iv) | संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव | — | सदस्य |

2. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि का विस्तार समय-समय पर किया जाता रहा है। विभागीय संकल्प संख्या-343 दिनांक-09.04.2026 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक के लिए विस्तारित किया गया है ।

3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि निम्नांकित विषयों से संबंधित स्कीम के लिए स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समीक्षा एवं अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है:-

- आपदा से संबंधित स्कीम,
- विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम,
- भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत पटना राजधानी क्षेत्र में लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय भवनों एवं सरकारी आवासों के जीर्णोद्धार/उन्नयनीकरण/नवनिर्माण कार्य/फर्नीचर-उपस्कर कार्य/विद्युतीकरण/उद्यान विकास/मूर्ति निर्माण कार्य आदि से संबंधित योजनाएँ ।
- उक्त क्रमांक-(i) से (iii) में वर्णित मूल स्कीम का Supporting स्कीम ।

- (v) नई स्कीम जिसकी अनुमानित कुल लागत ₹50.00 लाख तक की हो, बशर्ते की एक ही प्रकृति के स्कीमों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया गया हो ।

नोट:- मूल स्कीम के **Supporting** स्कीम का उदाहरण, यथा, भवन निर्मित हो, उसका **Furniture**, विद्युतीकरण, संपर्क सड़क तथा **transformer** अधिष्ठापन आदि से संबंधित योजना।

इसी प्रकार विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण ।

4. इस प्रकार उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय/स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम जिसकी अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-1 में वर्णित समिति के समक्ष निम्नवत् रखे जाएँगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा :-

- (i) ₹5.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँगे ।
- (ii) ₹5.00 करोड़ से अधिक एवं ₹15.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति प्राधिकार के रूप में इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

5. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत नई स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क), समय-समय पर यथा संशोधित में वर्णित है।

6. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (यथा, संकल्प निर्गत होने की तिथि) से दिनांक-31.03.2027 तक की विस्तारित अवधि में प्रभावी रहेगी।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से,
रचना पाटिल,
सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 980-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>